सुरक्षित निर्णय

# उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल

**फौजदारी पुनरीक्षण संख्या 60 वर्श 2021**

**(अन्तर्गत धारा 397/401 दण्ड प्रकिय संहिता)**

1. पुष्पराज सिंह चौहान
2. मनोज कुमार..........................................................................पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. उत्तराखण्ड राज्य
2. सुनीता पत्नी मुकेश कुमार...................................................प्रत्यर्थीगण।

**सुरक्षित रखने जाने की तिथिः अगस्त 25, 2021**
**उद्‌घोषित किये जाने की तिथिः सितम्बर 02, 2021**

**उपस्थितः**
श्री अभिषेक वर्मा, पुनरीक्षणकर्तागण के अधिवक्ता
श्री रोहित ध्यानी, प्रत्यर्थी संख्या 1 राज्य की ओर से केस धारक
श्री भूपेश काण्डपाल, प्रत्यर्थी संख्यां 2 की ओर से अधिवक्ता।

**माननीय आर.सी.खुल्बे, जे.**

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद इसे द0प्र0सं0 कहा जायेगा) की धारा 379/401 के अन्तर्गत यह पुनरीक्षण विद्वान विशेष न्यायाधीश (पोक्सो)/अपर सत्र न्यायाधीश हरिद्वार द्वारा द0प्र0सं0 की धारा 319 के तहत शिकायतकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा योजित एक प्रार्थनापत्र (कागज संख्या 38क) सत्र परीक्षण संख्या 179 वर्ष 2019 राज्य बनाम नवीन कुमार में पारित आदेश दिनांकित 24.02.2021 के विरूद्ध है।

**2.** इस पुनरीक्षण में शामिल विवाद को सुलझाने के लिये आवश्यक तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 29.08.2019 को थाना भगवानपुर में अभियुक्त नवीन के विरूद्ध तहरीर दी थी। उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त नवीन के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0383/2019 दर्ज की गयी। तहरीर में आरोप लगाया गया कि सूचनादाता की पुत्री सी0एम0डी0 इंटर कॉलेज चुरियाला तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार से दसवीं की शिक्षा ग्रहण कर रही थी। दिसम्बर 2018 के पहले सप्ताह के करीब, सूचना देने वाले के परिवार ने देखा कि उनकी बेटी डरी हुई और गुमशुम रहती है और हर दिन स्कूल जाने से मना कर देती है। यद्यपि सूचना देने वाले ने अपनी बेटी को समझा बुझाकर स्कूल भेजा। दिनांक 10.12.2018 को सूचनाकर्ता को अलमारी में एक मोबाईल फोन रखा मिला, जब सूचनाकर्ता ने उनकी बेटी से उक्त फोन के बारे में पूछा तो उसने जबाव दिया कि यह फोन उसके सामाजिक विज्ञान के शिक्षक नवीन कुमार ने उसे डराने धमकाने के बाद दिया था। उससे आगे पूछने पर उसने बताया कि पिछले छह महीने से आरोपी नवीन कुमार उसे छेड़ रहा था और अपमानित कर रहा था। उसने आगे बताया कि आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो वह अपने प्रभावशाली संबंधों का इस्तेमाल कर उसके पिता को जेल भेज देगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आगे उल्लेख किया गया है कि जब आरोपी नवीन कुमार स्टाफरूम में अकेला होता था तो अन्य शिक्षक मनोज और पुष्पराज (पुनरीक्षणकर्ता) उसकी बेटी को किसी न किसी बहाने से आरोपी नवीन कुमार के पास जाने के लिये मजबूर करते थे। इन कथनों के साथ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

**3.** प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात् द0प्र0सं0 की धारा 164 के अन्तर्गत पीड़िता के बयान तृतीय न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार के समक्ष दर्ज किये गये। जांच के समापन पर जांच अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 व पोक्सो अधिनियम की धारा 9(एफ)/10 के अपराध के लिये अभियुक्त नवीन कुमार के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया गया जिस पर विद्वान

विशेष न्यायाधीश (पोक्सो), हरिद्वार द्वारा संज्ञान लिया गया और अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किये गये

**4.** अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित किये जाने हेतु पीड़िता को पी0डब्ल्यू0–1 के रूप में तथा पीड़िता की मां (सूचनादाता) को पी0डब्ल्यू0–2 के रूप में परीक्षित कराया।

**5.** वाद के लंबित रहने के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा द0प्र0सं0 की धारा 319 के अन्तर्गत एक प्रार्थनापत्र (कागज संख्या 38ख) योजित किया गया। विद्वान विशेष न्यायाधीश (पोक्सो), हरिद्वार द्वारा दिनांक 24.02.2021 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से उक्त प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर लिया तथा वर्तमान पुनरीक्षणकर्ताओं अर्थात् मनोज कुमार और पुष्पराज सिंह चौहान को वाद का सामना करने के लिये बुलाया। न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान पुनरीक्षण योजित किया गया है।

**6.** मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सविस्तार सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्री का अवलोकन किया गया।

**7.** पुनरीक्षणकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि पुनरीक्षणकर्तागण का नाम प्रथमसूचना रिपोर्ट में नहीं है और यहां तक कि ऐसा कोई साक्ष्य भी नहीं था जिसे अन्वेषणकर्ताधिकारी द्वारा एकत्र किया जा सके। जांच के दौरान अभियुक्त नवीन कुमार के विरूद्ध ही आरोपपत्र प्रेषित किया गया था। यहां तक कि अभियोत्री ने द0प्र0सं0 की धारा 164 के अन्तर्गत दिये गये बयान में पुनरीक्षणकर्तागण का नाम नहीं लिया गया। यह एक मनगढ़ंत कहानी है, पुनरीक्षणकर्तागण को गलत तरीके से बुलाया गया है क्योंकि किसी व्यक्ति को द0प्र0सं0 की धारा 319 के अन्तर्गत बुलाने के लिये उसके खिलाफ ठोस साक्ष्य की उपलब्धता होनी चाहिए, जो वर्तमान मामले में नहीं है। इस प्रकार विचारण न्यायालय अभियुक्त को बुलाने में गलती कर गया और इसलिये चुनौती के तहत आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

**8.** दूसरी ओर, राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 2 सूचनाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुनरीक्षण का घोर विरोध किया और तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में पुनरीक्षकर्तागण के विरूद्ध स्पष्ट आरोप है तथा साक्ष्य में भी अभियोत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दोनों पुनरीक्षणकर्ता उसे स्कूल के समय छेड़ते थे, और आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं है।

**9.** आगे कोई भी चर्चा करने से पहले द0प्र0सं0 की धारा 319 को पुनः प्रस्तुत करना समीचीन होगा, जो इस प्रकार हैः–

> **''319. अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति –** (1) जहां किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिये ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वहां न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिये जिसका उसके द्वझरा किया जाना प्रतीत होता है, कार्यवाही कर सकता है।
>
> (2) जहां ऐसा व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं है वहां पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये उसे मामले की परिस्थितियों की अपेक्षानुसार, गिरफ्तार या समन किया जा सकता है।
>
> (3) कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार या समन न किये जाने पर भी न्यायालय में हाजिर है, ऐसे न्यायालय द्वारा उस अपराध के लिये, जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए निरुद्ध किया जा सकता है।
>
> (4) जहां न्यायालय किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही करता है, वहां–
>
>> (क) उस व्यक्ति के बारे में कार्यवाही फिर से प्रारमी की जायेगी और साक्षियों को फिर से सुना जायेगा,

(ख) खण्ड (क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, मामले में ऐसे कार्यवाही की जा सकती है, मानो वह व्यक्ति उस समय अभियुक्त व्यक्ति था, जब न्यायालय में उस अपराध का संज्ञान किया था जिस पर जांच या विचारण प्रारम्भ किया गया था।''

**10.** द0प्र0सं0 की धारा 319 इस कहावत से उद्धृत होती है *ज्यूडेक्स डेमनटूर कम नोसेन्स एब्सोलविटुर* (जब दोषी को दोषमुक्त कर दिया जाता है तो न्यायाधीश की निंदा की जाती है)। धारा 319 एक सक्षम प्रावधान है जिसे न्यायालय द्वारा तभी लागू किया जा सकता है जब किसी जांच या मुकदमें के दौरान ऐसे साक्ष्य सामने आते हैं जो उसके समक्ष पहले से ही आरोपित व्यक्ति या व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की मिली भगत का खुलासा करते हैं। धारा 319 केवल एक स्थिति से संबंधित है अर्थात किसी जांच य परीक्षण के दौरान लिये गये और दर्ज किये गये साक्ष्य से प्रकाश में आने वाली मिलीभगत। यह केवल उन मामलों में ही नहीं हो सकता है, जहां जांच के दौरान किसी व्यक्ति का नाम आने के बावजूद जांच संस्था उसे मुकदमें के लिये नहीं भेजती है, बल्कि ऐसे मामलों में भी हो सकती है जहां ऐसे व्यक्ति की संलिप्तता पहली बार सामने आती हैं। पूछताछ या परीक्षण में दर्ज किये गये साक्ष्य का कम। एक बार धारा 319 का आशय इतना समझ में आ जाने के बाद यह स्पष्ट है कि इसके संचालन का दायरा या इसके कार्य का क्षेत्र भी उन मामलों तक ही सीमित होगा जहां संज्ञान के बाद अपराध के कमीशन में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आती है। पूछताछ या परीक्षण में दर्ज किये गये साक्ष्य का कम। इस प्रकार यह धारा सभी स्थितियों पर लागू नहीं होती है और इसकी व्याख्या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को न्यायालय के समक्ष दोषी ठहराए गए अन्य लोगों के साथ मुकदमा चलाने के लिये बुलाने के लिये सभी व्यक्तियों के भंडार के रूप में नहीं की जा सकती है। द0प्र0सं0 की धारा 319 किशुन सिंह और अन्य बनाम

बिहार राज्य (1993) 2 एससीसी 16 में रिपोर्ट किये गये मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्था से उद्धृत हुयी है।

**11.** माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ ने हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2014) 3 एससीसी 92 में अवधारित किये गये के मामले में, धारा 319 द0प्र0सं0 के दायरे पर विचार करते हुए इस प्रकार माना हैः

> ''**54.** हमारी राय में, जांच का चरण अपने सख्त विधि अर्थों में किसी भी साक्ष्य पर विचार नहीं करता है, न ही विधायिका इस पर विचार कर सकती है क्योंकि साक्ष्य का चरण अभी तक नहीं आया है। न्यायालय के पास अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र की गई सामग्री है और इस पर न्यायालय प्रथम दृष्टया यह पता लगाने के लिए अपना दिमाग लगा सकती है कि क्या कोई व्यक्ति, जो आरोपी हो सकता है, को गलती से दोषी ठहराए जाने से छूट गया है या अभियोजन संस्थाओं द्वारा जानबूझकर बाहर रखा गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए यह और भी आवश्यक है कि जांच और अभियोजन संस्था ने उन व्यक्तियों को न्यायालय के सामने लाने में निष्पक्षता से काम किया है जो मुकदमा चलाने के लायक हैं और किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर बचाया जाने से रोका जा सके जब उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए था। यह न्यायिक प्रणाली में विश्वास पैदा करना आवश्यक है, जिससे न्यायालय को जांच के चरण में भी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए और वही कारण है कि विधायिक ने धारा 319 द0प्र0सं0 में जानबूझकर अलग–अलग शब्दों, अर्थात् पूछताछ या परीक्षण का उपयोग किया है।
>
> **55.** तद्नुसार, हम मानते हैं कि न्यायालय द0प्र0सं0 की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग केवल वाद के आगे बढ़ने और साक्ष्यों की अभिलेखबद्ध शुरू होने के बाद और असाधारण परिस्थितियों में भी कर सकती है जैसा कि यहां उपर बताया गया है।

**56.** प्रावधानों का एक और सेट है जो धारा 319 द0प्र0सं0 के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक जांच का हिस्सा है यानी धारा 200, 201, 202 आदि के प्रावधान शिकायत मामलों के मामले में लागू होते हैं। जैसा कि यहां चर्चा की गई है, साक्ष्य का अर्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया साक्ष्य है। शिकायत का मामला आपराधिकक मुकदमें की एक अलग श्रेणी है जहां साक्ष्य अधिनियम 1872 (इसके बाद ''साक्ष्य अधिनियम'' के रूप में संदर्भित) की धारा 3 के सख्त विधिी अर्थ में कुछ प्रकार के साक्ष्य न्यायालय के सामने आते हैं। द0प्र0सं0 की धारा 319 के प्रावधानों में ऐसा कोई प्रतिबंध प्रतीत नहीं होता है जिससे शिकायत के मामलों में आरोप तय होने या प्रकिया जारी होने से पहले ही न्यायालय के सामने आने वाले ऐसे साक्ष्यों को रोका जा सके। लेकिन उस स्तर पर चूंकि न्यायालय के समक्ष कोई आरोपी नहीं है, ऐसे साक्ष्य का केवल मुकदमे के दौरान दर्ज किए गए साक्ष्य को द0प्र0सं0 की धारा 319 के प्रयोजन के लिए पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है, यदि आवश्यक हो। इस धारा के उद्देश्य के लिए जो आवश्यक है वह यह है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है उसके खिलाफ कुछ साक्ष्य सामने आने चाहिए और कार्यवाही का चरण अप्रासंगिक है। जहां शिकायतकर्ता कई व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने में सतर्क है, लेकिन न्यायालय की राय है कि कुछ अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत की ओर इशारा करने वाले कुछ साक्ष्य भी प्रतीत होते हैं। धरा19 द0प्र0सं0 एक सशक्त प्रावाान के रूप में कार्य करती है जो न्यायालय/मजिस्टेट को सक्षम बनाती है। ऐसे अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करें। द0प्र0सं0 की धारा 319 का उद्देश्य पूर्ण न्याय करना है और यह सुनिश्चित करना है कि जिन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए था, उन पर भी मुकदमा चलाया जाए। इसलिए किसी शिकायत मामले में मुकदमे के चरण में जब शिकायतकर्ता के साथ–साथ उसके गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए जा रहे

हैं तो द0प्र0सं0 की धारा 319 की शक्तियों को लागू करने में कोई कठिनाई नहीं दिखाई देती है।

**58.** सवालों का जवाब देने के लिए और धारा 319 द0प्र0सं0 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने में विचारण न्यायालय द्वारा सामना की जा रही बाधा को हल करने के लिए, उन परिस्थितियों की जांच करके इस मुद्दे की जांच की जानी चाहिए जो न्यायालय के लिए ऐसी स्थिति पैदा करती है। शक्तियां जिन परिस्थितियों के कारण किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए न्यायालय द्वारा इस तरह का निष्कर्ष निकाला जाता है, वे न्यायालय के सामने आने वाले तथ्यों और सामग्री की उपलब्धता से उत्पन्न होती हैं और ऐसे व्यक्ति को कथित अपराध में भागीदार के रूप में बुलाने का आधार बनती हैं। प्रतिबद्ध होना सामग्री को अपराध के कमीशन में व्यक्ति की मिलीभगत का खुलासा करना चाहिए, जो कि किसी भी जांच या अपराध के परीक्षण के दौरान साक्ष्य से प्रकट होने वाली सामग्री होनी चाहिए। द0प्र0सं0 की धारा 319 में प्रयोग किए गए शब्दों से संकेत मिलता है कि सामग्री को न्यायालय के समक्ष ''जहां ..........यह साक्ष्य से प्रकट होता है'' होना चाहिए।

**59.** इस मुद्दे का उत्तर देने से पहले, हम ''साक्ष्य'' शब्द के अर्थ की जॉच करें। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, ''साक्ष्य'' शब्द से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आते हैं–

> ''**(1)** वे सभी कथन जिनके, जांचाधीन तथ्य के विषयों के सम्बन्ध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किये जाने की अनुज्ञा देता है या यह अपेक्षा करता है, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं।
>
> **(2)** न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गयी सब दस्तावेजें, जिनमें इलेक्टॉनिक अभिलेख शामिल हैं, ऐसे दस्तावेजें दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती है।''

**78.** इसलिए, यह स्पष्ट है कि धारा 319 द0प्र0सं0 में ''साक्ष्य'' शब्द का अर्थ केवल ऐसे साक्ष्य से है जो बयानों के संबंध में न्यायालय के समक्ष दिया गया है, और दस्तावेजों के संबंध में न्यायालय के सामने पेश किया गया है। यह केवल ऐसे साक्ष्य हैं जिन्हें मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जा सकता है ताकि यह तय किया जा सके कि द0प्र0सं0 की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जाना है या नहीं, न कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर।

**85.** उपर की गई चर्चा और निकाले गए निष्कर्ष के मद्देनजर उपरोक्त प्रश्न का उत्तर यह है कि मुकदमे के दौरान दर्ज किए गए साक्ष्य के अलावा, संज्ञान लेने के बाद और मुकदमा शुरू होने से पहले न्यायालय द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सामग्री, इसका उपयोग केवल पुष्टि के लिए और धारा 319 द0प्र0सं0 के तहत शक्ति का उपयोग करने के लिए न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य का समर्थन करने के लिए किया जाना चाहिए। इस प्रकार ''साक्ष्य'' परीक्षण के दौरान दर्ज किए गए साक्ष्यों तक ही सीमित है।''

**12.** हरदीप सिंह के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि से यह पता चलता है कि –(प) न्यायालय धारा 319 द0प्र0सं0 के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यहां तक कि संबंधित गवाहों के मुख्य परीक्षण में दिए गए बयान के आधार पर भी और (पप) न्यायालय को ऐसे गवाह की प्रतिपरीक्षा तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है और न्यायालय को अभियुक्तों के खिलाफ साक्ष्यों की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, जिन्हें प्रतिपरीक्षा द्वारा परीक्षण के लिए बुलाया जाना है और प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं किए गए व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाना चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाम दिया गया है, लेकिन आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है या जिस व्यक्ति को आरोपमुक्त कर दिया गया है, उसे द0प्र0सं0 की धारा 319 के तहत बुलाया जा सकता है, बशर्ते साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि

ऐसे व्यक्ति पर पहले से ही मुकदमे का सामना कर रहे आरोपियों के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है।

**13.** एस मोहम्मद इस्पहानी बनाम योगेन्द्र चांडक और अन्य 2017 16 एससीसी 226 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तर संख्या 35 में यह अवधारित किया है कि

> 35. इस तथ्य पर प्रकाश डालने की जरूरत है कि जब शिकायतकर्ता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज किया जाता है, लेकिन पुलिस जांच के बाद उस व्यक्ति विशेष की कोई भूमिका नहीं पाती है और उसे फंसाए बिना आरोप पत्र दायर करती है, तो न्यायालय शक्तिहीन नहीं है और मामले में समन करने का चरण यदि विचारण न्यायालय को लगता है कि किसी विशेष व्यक्ति को आरोपी के रूप में समन किया जाना चाहिए, भले ही आरोप पत्र में उसका नाम न हो, तो वह ऐसा कर सकती है। उस स्तर पर शिकायतकर्ता को भी एक विरोध याचिका दायर करने का मौका दिया जाता है जिसमें विचारण न्यायालय से अन्य व्यक्तियों को भी बुलाने का आग्रह किया जाता है जिनका नाम प्रथम सूचना रिपार्ट में था लेकिन आरोपपत्र में शामिल नहीं किया गया था। एक बार वह चरण बीत जाने के बाद, न्यायालय द0प्र0सं0 की धारा 319 के आधार पर शक्तिहीन नहीं है। हालॉकि, यह धारा तब लागू होती है जब मुकदमे के दौरान प्रस्तावित आरोपी के खिलाफ कुछ साक्ष्य सामने आते हैं।

**14**. इसी तरह, राजेश और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2019)6 एससीसी 368 के मामले में अवधारित किया है कि शीर्ष न्यायालय ने माना है कि ऐसे मामले में भी जहां विरोध याचिका का चरण चला गया है, उस मामले में भी न्यायालय द0प्र0सं0 की धारा 319 के तहत शक्तिहीन नहीं है, और प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित लेकिन आरोप–पत्र में शामिल नहीं किए गए व्यक्तियों

को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जा सकता है, बशर्ते मुकदमे के दौरान प्रस्तावित आरोपियों के खिलाफ कुछ साक्ष्य सामने आएं।

**15.** सरताज सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2021) 5 एससीसी 337 में अवधारित किया गया है कि हाल के निणयों में शीर्ष न्यायालय ने धारा 319 द0प्र0सं0 के उद्देश्य पर विस्तार से चर्चा की है मजिस्ट्रेट की शक्तियों का दायरा और दायरा अतिरिक्त आरोपियों का कब जोड़ा जा सकता है और 'साक्ष्य' किस आधार पर उन्हें जोड़ा जा सकता है।

**16.** हाल ही में माननीय शीर्ष न्यायालय की इसी पीठ ने मंजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (आपराधिक अपील संख्या 875/2021 को दिनांक 24.08.2021 को उपरोक्त निर्णयों के आधार पर निर्णय दिया) में यह माना है कि–

> ''द0प्र0सं0 की धारा 319 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के चरण में, न्यायालय को मामले के आरोपों की योग्यता की सराहना करने और/या प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। द0प्र0सं0 की धारा 319 के तहत शक्तियां परीक्षण शुरू होने और साक्ष्य/बयान दर्ज करने से लेकर किसी भी चरण में और परीक्षण के समापन से पहले किसी भी चरण में प्रयोग किया जा सकता है।''

**17.** अब इस मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए दिनांक 29.08.2019 को पी0डब्लू0 2 द्वारा दर्ज करायी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से, सूचनादाता ने विशेष रूप से दोनों पुनरीक्षकर्तागण मनोज कुमार और पुष्पराज के नाम का उल्लेख किया है। यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी नवीन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि दोनों ही पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा किसी न किसी कारण से अभियोत्री को आरोपी नवीन कुमार के पास स्टाफरूम में भेजते थे।

**18.** हालॉकि, पीडित्रा ने मजिस्टेट के समक्ष उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख नहीं किया, जहॉ उसका बयान द0प्र0सं0 की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया

था। लेकिन विचारण के समक्ष गवाह बॉक्स में पीड़िता पी0डब्ल्यू0 1 के रूप में पेश हुई, जहां स्पष्ट शब्दों में, उसने कहा है कि दोनों पुनरीक्षणकर्ता यानी मनोज और पुष्पराज उसे आरोपी नवीन कुमार के पास भेज देंगे। उसने यह भी कहा है कि दोनों पुनरीक्षणकर्ता उसे छेड़ते थे और वे दोनों उसके निजी अंगों को छूते थे।

**19.** सूचनाकर्ता (अभियोत्री की मां) भी विचारण न्यायालय के समक्ष पी0डब्ल्यू0 2 के रूप में पेश हुई। उन्हांने अपने बयान में अभियोजन पक्ष के मामले की पूरी तरह से पुष्टि की है और स्पष्ट रूप से कहा है कि उसकी बेटी (अभियोत्री) ने उसे बताया कि दोनों पुनरीक्षणकर्ता मनोज और पुष्पराज पिछले छह महीने से उसे छेड़ रहे थे और कभी–कभी वे उसके स्तनों को भी छूते थे।

**20.** पी0डब्ल्यू0 1 और पी0डब्ल्यू0 2 के उपरोक्त बयानों पर गौर करने पर यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के लिए इस संतुष्टि पर पहुंचने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि पुनरीक्षणकर्ता भी अपराध के दोषी प्रतीत होते हैं। विचारण न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ताओं को बुलाने के लिए ठोस कारण बताए हैं।

**21.** तदनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में विचारण न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है इसमें पुनरीक्षणकर्ताओं को आरोपी–नवीन कुमार के साथ मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया है।

**22.** उपरोक्त कारणों से मुझे द0प्र0सं0 की धारा 319 के तहत सूचनाकर्ता–प्रतिवादी द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 179 वर्ष 2019 में दायर प्रार्थनापत्र कागज संख्या (38ख) में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24.02.2021 में कोई अवैधता, विकृति या गलतता नहीं मिली।

**23.** पुनरीक्षण विफल हो जाता है और तदनुसार, उसे खारिज कर दिया जाता है।

**24**. हालॉकि यह विशष रूप से देखा गया है कि यहॉ उपर की गई टिप्पणियॉ केवल प्रथम दृष्टया धारा 319 द0प्र0सं0 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के उद्देश्य से हैं और विचारण न्यायालय को विधि के अनुसार तथा गुण–दोष और उसके समक्ष रखे जाने वाले साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे का निर्णय लेने और निस्तारित करने का निर्देश दिया जाता है।

**25.** सभी लंबित प्रार्थनापत्रों को निस्तारित किया जाता है।

**26.** रजिस्ट्री को इसकी एक प्रति भेजने का निर्देश दिया जाता है कि अनुपालन के लिये निचली अदालत को आदेश दें।

**(आर.सी. खुल्बे, जे)**

रंदग